पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank ...the name you can BANK upon !

कारपोरेट कार्यालय : प्लाट संख्या. 4, सेक्टर 10, द्वारका,
नई दिल्ली, 110075
**Corporate Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka,**
**New Delhi – 110 075**

# असाधारण आम बैठक
# EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

दिनांकः सोमवार, 4 दिसंम्बर, 2017
समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे
**DATE: MONDAY, THE 4TH DECEMBER, 2017**
**TIME : 10.00 A.M.**

स्थान :
पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम,
केन्द्रीय स्टॉफ कॉलेज
8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइन्स,
दिल्ली–110054

**Venue :**
**PUNJAB NATIONAL BANK AUDITORIUM**
**CENTRAL STAFF COLLEGE,**
**8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES,**
**DELHI-110 054**

# विषय वस्तु
# CONTENTS

पृष्ठ सं.
Page No.


सूचना
NOTICE ..... 1-2

व्याख्यात्मक कथन
EXPLANATORY STATEMENT ..... 3-8

प्रॉक्सी फार्म
PROXY FORM ..... 9-10

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास
ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS ..... 11


## महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं कार्यक्रम
## IMPORTANT CALENDER OF EVENTS

| | |
|---|---|
| असाधारण आम बैठक के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कटऑफ तिथि<br>Cut-off date for ascertaining the entitlement of shareholders for attending the EGM | सोमवार, 27 नवंम्बर, 2017<br><br>Monday, 27th November, 2017 |
| ई–वोटिंग की अवधि<br>E-voting period | 01.12.2017 (प्रातः 9.00) से 03.12.2017 (सायं 5.00)<br>01.12.2017 (9 a.m.) to 03.12.2017 (5 p.m.) |
| प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए प्रॉक्सी फार्म एवं संकल्प जमा करने की अंतिम तिथि<br>Last date for receipt of Proxy Forms and Resolutions appointing Authorized Representatives | बुधवार, 29 नवंम्बर, 2017<br><br>Wednesday, 29th November, 2017 |

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank ...the name you can BANK upon !

कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लाट संख्या 4,सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075
(ई मेल– hosd@pnb.co.in)

# सूचना

**एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 2000 के विनियम 57 के अनुसार पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सोमवार, दिनांक 4 दिसंबर, 2017 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित विशेष मदों पर विचार–विमर्श किया जायेगा :–**

**मद 1**

**बैंक की इक्विटी पूँजी को बढ़ाना**

निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रुप में विचार करना तथा संशोधन सहित या संशोधन के बिना उचित समझे जाने पर पारित करना :

**'संकल्प किया जाता है कि** राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में **'योजना'** कहा जायेगा) **और** पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2000 (जिसे इसके बाद **'विनियमन'** कहा जाएगा) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में **'अधिनियम'** कहा जायेगा) प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (**आरबीआई**), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (**सेबी**) और/अथवा इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता समझौते के अधीन तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (**सेबी आईसीडीआर विनियमन**), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (सूची बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (**सेबी एलओडीआर विनियमन**), यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (**फेमा**) तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर प्रवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या जारीकरण) विनियम, 2000 सहित समय–समय पर संशोधित, इसके तहत तैयार किए गए नियम और विनियम, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबध्द प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य नियम, प्रावधान, दिशानिर्देश,परिपत्र, अधिसूचना विनियमों के अनुसार एवं ऐसे अनुमोदनों, अनुमति, सहमति तथा/अथवा स्वीकृति, जिसे बैंक के बोर्ड निदेशक जिसे इसके बाद इस संकल्प में **'बोर्ड'** कहा गया है, जिसके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो व गठित की जानी हो), बैंक के शेयरधारकों की सहमति हो और इसके द्वारा बैंक के निदेशक मंडल को इसकी स्वीकृति दी जाए को प्रदान की जाती है कि

**क.** एक या अधिक ट्रेंच, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूट प्लेसमेंट(क्यूआईपी)/राइट इश्यू और/या किसी अन्य मोड (या) या उसके संयोजन सहित एफपीओ (फॉलो–ऑन पब्लिक ऑफर) द्वारा ऐसे प्रीमियम जैसा भारत सरकार एवं आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया गया हो, जिसे रू. 3000 करोड़ की वर्तमान सीमा को रू. 2000 करोड़ तक बढ़ाकर कुल रू. 5000 करोड़ से अधिक नहीं, का समावेश कर रू. 2/– (केवल दो रुपये) (''इक्विटी शेयर्स'') के फेस वैल्यू की ऐसी संख्या को सृजित, ऑफर, जारी तथा आवंटित करेंगे जिसे बैंक की शेयरधारकों की बैठक में उनकी 12 सितंबर, 2017 की आम असाधारण बैठक में अनुमोदित किया गया था जो इन शर्तों के अधीन होगा कि बैंक के इक्विटी पूँजी में भारत सरकार की शेयरधारिता किसी भी कीमत पर 52% से कम न हो। बोर्ड द्वारा जैसा तय किया गया है क्वांटम और मोड, ट्रेंचेस की संख्या, मूल्य, छूट/प्रीमियम,

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

**Corporate Office : Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110 075**
**(Email hosd@pnb.co.in)**

# NOTICE

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT PURSUANT TO REGULATION 57 OF PUNJAB NATIONAL BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 2000, EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF PUNJAB NATIONAL BANK WILL BE HELD ON MONDAY, THE 4th DECEMBER, 2017, AT 10.00 A.M. AT PUNJAB NATIONAL BANK AUDITORIUM, CENTRAL STAFF COLLEGE, 8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES, DELHI-110054 TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:**

## ITEM 1

**Raising of Equity Capital of the Bank**

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following Resolution (s) as Special Resolution (s):

**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the **'Act'**) read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the **'Scheme'**) and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the **'Regulations'**) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (**RBI**), Government of India (**GOI**), Securities and Exchange Board of India (**SEBI**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed, stipulated or imposed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the Listing Agreements entered into with the stock exchanges and in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**the "SEBI ICDR Regulations"**), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**"SEBI LODR Regulations"**), as amended and subject to other applicable rules, regulations and guidelines issued by SEBI, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (**"FEMA"**), and rules and regulations framed thereunder as amended from time to time including the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, the Consolidated Foreign Direct Investment Policy, issued from time to time by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India and other applicable rules, regulations, guidelines, circulars, notifications prescribed by RBI and any other governmental or regulatory authorities as may be required in this regard and further subject to such terms and conditions or modifications as may be prescribed or imposed by any of them while granting any such approvals, permissions, consents and/or sanctions , which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the "Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank to

a) create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of face value of Rs. 2/- (Rupees Two Only) ("The Equity Shares") in aggregate not exceeding Rs. 5,000 crore (Rupees Five Thousand Crore Only) by increasing Rs. 2000 crores in its existing limit of Rs 3000 Crores which was approved by the shareholders of the Bank in their Extra Ordinary General Meeting dated September 12, 2017, inclusive of such premium as may be fixed on such amount or such other amount as may be approved by GOI & RBI, by way of FPO (Follow-on Public Offer) / Qualified Institutional Placement(s) (QIPs)/Rights/ESOP

कर्मचारियों के लिए आरक्षण, मौजूदा शेयरधारकों और या निवेशक के किसी अन्य व्यक्ति/वर्ग का और सेबी विनियमों और इस तरह के मुद्दे के समय, लागू नियमों और विनियमों और भारत सरकार और आरबीआई की स्वीकृति के अधीन अपने विवेकाधिकार पर निर्णय करने के लिए,

**''यह भी संकल्प किया जाता है** भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित तथा पीएनबी (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, के अधीन एफएपीओ/क्यूआईपी/राइट इश्यू या किसी अन्य तरीके के माध्यम से ऑफर किए गए और आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी मामलों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सम–मात्रा रैंक दिया जाएगा और ये वैधानिक दिशानिर्देशों जो ऐसे घोषणापत्र के समय लागू हों, के अनुसार घोषित लाभांश के लिए पात्र होंगे।

**''यह भी संकल्प किया जाता है** कि एफपीओ/क्यूआईपी/राइट इश्यू या किसी अन्य तरीके से पेशकश और आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को, जैसा कि भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित, राइट्स इश्यू/ईएसओपी के अलावा, डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होंगे, जहां शेयर को भौतिक और डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म दोनों में जारी किए जा सकते हैं और एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को जारी और आवंटित इक्विटी शेयर, आरबीआई और/या सेबी के दिशानिर्देश/नियम और विनियमों के अधीन होंगे।

**''यह भी संकल्प किया जाता है** कि क्यूआईपी के मामले में, इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड या बोर्ड की समिति, अग्रणी प्रबंधकों और/या अंडरराइटर्स और/या अन्य सलाहकार जिनके पास सेबी (आईसीडीआर) नियमों 2009 के तहत मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार निर्धारित कीमत पर 5% (पांच प्रतिशत) से अधिक की नहीं, की छूट पर केवल योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) को इक्विटी शेयरों का आबंटन करने का प्राधिकार है, के साथ परामर्श करेगा और इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तिथि समय–समय पर संशोधन के अनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

**''यह भी संकल्प किया जाता है** कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों के सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वींकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकारण द्वारा अपेक्षित अथवा लगाये गये प्रस्ताीवों के संशोधनों को स्वीकार करें।''

**''यह भी संकल्प किया जाता है** कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।''

**''यह भी संकल्प किया जाता है** कि निदेशक मंडल को एतद्द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यावयोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझें।''

निदेशक मंडल के आदेश से
**कृते पंजाब नैशनल बैंक**

सुनील मेहता

**(सुनील मेहता)**
**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.11.2017

Issue and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board, in one or more tranches, subject to the condition that the GOI shareholding in equity capital of the Bank does not fall below 52 % at any point of time. to decide the quantum & mode(s), number of tranches, prices, discount/premium, reservations to employees, existing shareholders and or any other persons/class of investor as may be decided by the Board and as provided under SEBI regulations and the timing of such issue(s), at its discretion subject to the applicable Rules and Regulations and GoI & RBI approval.

**RESOLVED FURTHER THAT** the equity shares to be offered and allotted by way of FPO/QIP/Right Issue or any other mode, as approved by GOI, RBI and subject to the PNB (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

**RESOLVED FURTHER THAT** the equity shares be offered and allotted by way of FPO/QIP/Rights Issue/ESOP or any other mode, as approved by GOI & RBI shall be in dematerialized form, except for Rights issue where the shares may be issued in both the physical and dematerialized form, and the equity shares so issued and allotted to NRIs, FII and/or other eligible foreign investors shall be subject to the Guidelines/Rules & Regulations issued by RBI and/or SEBI.

**RESOLVED FURTHER THAT** in case of QIP, the Board or the Committee of the Board constituted for the purpose shall in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors have the authority to make the allotment of equity shares only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) at a discount of not more than 5% (five per cent) on the price determined in accordance with the pricing formula under SEBI (ICDR) regulations 2009 and the relevant date for the purpose shall be in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations 2009, as amended from time to time.

**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

**RESOLVED FURTHER THAT** to take all such actions and to do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable, without requiring any further approval of the members to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution(s)."

By order of the Board of Directors

**For Punjab National Bank**



**(Sunil Mehta)**
**Managing Director & CEO**

Place: New Delhi

Date: 02.11.2017

व्याख्यात्मक विवरण

## मद 1 – इक्विटी पूँजी को बढ़ाना

नोटिस में निहित यह विशेष संकल्प, बैंक द्वारा उस संकल्प से संबंधित है जो बोर्ड को एक या अधिक ट्रेंच, जैसा कि बोर्ड (जिसमें) किसी सिमिति को शामिल किया समझा जाएगा जिसे बोर्ड द्वारा गठित किया जा सकता है) ऐसे मूल्यों तथा उचित समझे जाने वाले ऐसे शर्तों एवं निबंधनों को निवेशको के वर्गों की पहचान के लिए विवेकाधिकार सहित इसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के लिए सक्षम बनाएगा, ऐसे निवेशको को सुविधाजनक बाजार परिस्थितियों तथा अन्य प्रासंगिक तथ्यों को जारी, ऑफर तथा आवंटन करने पर विचार किया जाएगा तथा जहां कही भी आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधको तथा अन्य एजेंसियों जो इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त की जाए, से विचार विमर्श करके किया जाएगा। यह विशेष संकल्प बोर्ड को कुल राशि रू.5000 करोड़ से अधिक नहीं, या इसके समकक्ष किसी विदेशी मुद्रा के लिए प्रतिभूति जारी करने के लिए सक्षम बनाता है। रू.5000 करोड़ की यह प्रस्तावित सीमा रू.3000 करोड़ की पहले ही अनुमोदित सीमा जिसे सदस्यों द्वारा उनकी 12 सितंबर, 2017 की असाधारण आम बैठक में अनुमोदित किया गया था को शामिल करता है।

बैंक की वर्तमान इक्विटी पूंजी रु. 425.59 करोड़ है तथा 31 मार्च 2017 तक बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.66% है। कारोबार विस्तार और बेसेल III मानदंडों और परिणामी पूंजीगत प्रभार के कार्यान्वयन को देखते हुए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और अधिक मजबूत करने के लिए पूँजी में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

(i) विकास दर के अनुमान के आधार पर आपके निदेशकों ने इक्विटी पूंजी बढ़ाने का फैसला लिया है और बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य कारोबार उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

(ii) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी) (सी) के अनुसार बैंक की प्रदत्त पूंजी बढाने के लिए बैंक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(iii) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियम 41 (4) कहता है कि सूचीबद्ध इकाई पहले अनुपात में सभी शेयर (जब्त किए गए शेयरों सहित), सिक्योरिटीज, अधिकार, विशेषाधिकार और सूचीबद्ध इकाई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए, प्रो–राटा के आधार की सदस्यता हेतु लाभ के लिए, जारी या प्रस्ताव प्रदान करेगा, जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक अन्यथा तय न करें। उक्त संकल्प यदि पारित किया जाता है, तो बोर्ड को मौजूदा शेयरधारकों को प्रो–राटा के आधार से अतिरिक्त सिक्योरिटीज को जारी और आवंटित करने की अनुमति देना प्रभावी करेगा।

(iv) यह संकल्प बैंक को क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/राईट इश्यू और/या इसके समन्वय सहित अन्य पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के माध्यम से इक्विटी शेयरों/वरीयता शेयरा/प्रतिभूतियों को सृजित करने, ऑफर करने, जारी करने के लिए बैंक को सक्षम करता है । यह संकल्प समय–समय पर आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित बैंक को इसकी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा।

(v) इसके अतिरिक्त, यह संकल्प आईसीडीआर विनियम द्वारा जैसा परिभाषित है, योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन प्लेसमेंट (क्यूआईपी) को कार्य करने के लिए निदेशक मंडल को सशक्त बनाता है। बोर्ड निदेशक शेयरधारकों से नए अनुमोदन के बिना बैंक के लिए निधि बढ़ाने के लिए आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत निर्दिष्ट अपने विवेक पर इस तंत्र को अपना सकता है।

(vi) ऑफर के लिए विस्तृत नियम और शर्तों को सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और अंडरराइटर्स और ऐसे अन्य प्राधिकरण या अधिकारियों से जैसा आवश्यक हो, मौजूदा बाजार की स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परामर्श करके निर्धारित किया जाएगा।

**EXPLANATORY STATEMENT**

**Item 1 – Raising of Equity Capital**

This special resolution contained in the Notice relates to a resolution by the Bank enabling the Board to create, issue, offer and allot Equity Shares by way of Public Issue/ Qualified Institutional Placement /Rights Issue / ESOP or any other mode or combination there of, in one or more tranches, at such price and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board (which term shall be deemed to include any committee thereof which the Board may have constituted) at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the issue, offer, and allotment shall be made considering the prevalent market conditions and other relevant factors and wherever necessary, in consultation with lead manager(s) and other agencies that may be appointed by the Board for the purpose of the Issue. This special resolution enables the Board to issue Securities for an aggregate amount not exceeding Rs 5,000 Crores or its equivalent in any foreign currency. This proposed limit of Rs. 5000 crores includes the already approved limit of Rs.3000 crores which was approved by the member in their Extra Ordinary General Meeting dated September 12, 2017

The current Equity Capital of the Bank is Rs. 425.59 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2017 is 11.66%. In view of business expansion and the implementation of BASEL III norms and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

(i) Based on the growth estimates your Directors have decided to raise the equity capital and the enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

(ii) The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for increasing the paid up capital of the Bank.

(iii) Regulation 41(4) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that listed entity shall, issue or offer in the first instance all shares (including forfeited shares), securities, rights, privileges and benefits to subscribe pro-rata basis , to the equity shareholders of the listed entity, unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

(iv) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of Follow-on Public offer (FPO) / Qualified Institutional Placement (QIP) / Rights issue/ESOP and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(v) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake Qualified Institutional Placement (QIP) with Qualified Institutional Buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR

(vii) जैसाकि प्रस्ताव का मूल्य निर्धारण को वृहद् स्तर के अतिरिक्त तय नहीं किया जा सकता है, जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत तय करना संभव नहीं है। हालांकि, यह आईसीडीआर विनियम, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रम का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 और पीएनबी (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 समय–समय पर यथा संशोधित या किसी अन्य दिशानिर्देशों/विनियम/संविदाओं जैसा लागू या आवश्यक हो के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(viii) उपर्युक्त कारणों के लिए, इन मुद्दे की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक सक्षम करने वाला संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

(ix) आबंटित इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी मामलों में सम–मात्रा रैंक के होंगे।

इस प्रयोजन के लिए बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव के लिए आपसे सहमति का अनुरोध किया गया है।

बोर्ड निदेशकों ने नोटिस में उल्लिखित विशेष प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश की है।

**निदेशकों के हित**

बैंक के किसी भी निदेशक का बैंक में उनके संबंधित शेयरहोल्डिंग्स, यदि हो तो, एक सीमा तक छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में कोई हित या संबंध नहीं हैं।

**टिप्पणियाँः**

**1. प्रॉक्सी की नियुक्ति**

बैठक में उपस्थित होने और मत देने के पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर उपस्थित होने और मत देने हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी पात्र होगा/होगी तथा ऐसी प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है लेकिन ऐसी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा । ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता । बैठक में प्रॉक्सी पत्र के गारंटीकर्ता को वोट देने का अधिकार नहीं होगा । प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त की जाने वाली लिखत को प्रभावी करने के लिए, उसे शेयर विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लाट संख्या 4,सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली **– 110075** में, बैठक की तारीख के कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् बुधवार 29 नवम्बर, 2017 को कारोबारी समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक जमा कर दी जाए । प्रॉक्सी फार्म का प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

**2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक बैंक की बैठक में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक , जिस में यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की सत्यप्रति कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लाट संख्या 4,सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली **– 110075** में स्थित पंजाब नैशनल बैंक के शेयर विभाग, वित्त प्रभाग में, बैठक की तारीख के कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् बुधवार 29 नवम्बर, 2017 को कारोबारी समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक जमा कर दी जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(vi) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

(vii) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the PNB (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

(viii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

(ix) The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

**INTEREST OF DIRECTORS**

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their respective shareholdings, if any, in the Bank.

**NOTES:**

**1. APPOINTMENT OF PROXY**

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a Proxy who is an officer or an employee of the Bank. The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting. The proxy in order to be effective must be received by the Bank at the Finance Division, Share Department, Corporate Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Wednesday, the 29th November, 2017.

**2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting as duly authorized representative of a body corporate, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Finance Division, Share Department, Corporate Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Wednesday, the 29th November, 2017. No person shall be appointed as an authorized representative, who is an officer or an employee of the Bank.

**3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास :**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में उचित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व ईजीएम स्थल पर इसे सुपुर्द करें।

**4.** नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा लेकिन ऐसे प्रॉक्सी अनुदानकर्ता की ओर से भाग ले सकते हैं और वोट कर सकते हैं।

**5.** शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

**6. वोटिंग अधिकार**

क. पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 के विनियम 68 के अनुसार ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट–ऑफ तिथि अर्थात् 27.11.2017 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, हाथ मतदान होने पर अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा ।

ख. कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या केवल कट–ऑफ की तारीख तक डिपॉजिटरी द्वारा मेंटेन किए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो को, ईजीएम में दूरस्थ ई–वोटिंग/वोटिंग सुविधा का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा।

ग. सदस्यों का मतदान अधिकार कट ऑफ तिथि तक कंपनी की पेड–अप इक्विटी शेयर पूंजी के अपने शेयर के अनुपात में होगा।

घ. बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जैसा कि संशोधन किया गया) की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 10% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता/सकती है । विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम है, तो रजिस्टर में दर्ज पहला नामित व्यक्ति, मतदान के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

**7. ई वोटिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया**

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र है और वे अपने वोट का प्रयोग इलैक्ट्रानिक साधन के द्वारा दे सकते हैं।

**8. मतदान प्रक्रिया**

**इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान**

i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2015 के नियम 20 व सेबी (सूचीकरण अपेक्षायें एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) के विनियमन 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों की अनुपालना में बैंक शेयरधारकों को आगामी असाधारण आम बैठक एजीएम में विचारणीय सकल्पों पर इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान करने की सुविधा दे रहा है और यह कार्यनिष्पादन नैशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई–वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से दिया जा रहा है। सदस्य अपना वोट इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी कर सकते हैं।

**3. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to affix their signatures at the space provided on the enclosed Attendance Slip-cum-Entry Pass and surrender the same at the EGM venue.

**4.** The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.

**5.** Shareholders may kindly note that no gifts / gift coupon will be distributed at the meeting.

**6. VOTING RIGHTS**

a. As per Regulation 68 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date as determined by the Bank i.e. 27.11.2017 shall have one vote for each share held by him/her.

b. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/ voting at the EGM.

c. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date.

d. In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended) no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. As per Regulation 10, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

**7. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH E-VOTING**

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

**VOTING PROCESS**

**VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS**

I. In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

ii) बैलट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा ईजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी और जिस सदस्य ने रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं किया है वह अपना वोट ईजीएम स्थल बैलट पेपर के माध्यम से कर सकता है।

iii) वह सदस्य जिसने बैठक से पहले ही रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट किया गया है बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह दोबारा अपना वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा।

iv) **रिमोट ई–वोटिंग की अवधि 01.12.2017 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 03.12.2017 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी।** इस अवधि में कट आफ तिथि 27 नवम्बर, 2017 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हो या डिमेटेरियालाइज्ड रूप में लेखा परीक्षित खाते, रिमोट ई वोटिंग की सुविधा को प्राप्त करने और साथ ही साथ एजीएम में वोटिंग के पात्र होंगे। ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा ईवोटिंग माड्यूल हटा दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा संकल्प पर वोट कर दिया जाता है, तो शेयरधारक को इसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

v) **रिमोट ई वोटिंग के लिए प्रक्रिया व तरीका निम्नवत दिया जा रहा है :–**

क) एनएसडीएल से जिन सदस्यों को ई–मेल प्राप्त हुए हैं (उन सदस्यों के लिए जिनकी ई मेल आईडी बैंक/डिपाजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत है) को सलाह दी जाती है कि वे रिमोट ई वोटिंग के लिए निम्न कदम उठायें:

1. ई–मेल खोलिए तथा पीडीएफ फाईल खोलिए अर्थात "remote e-voting.pdf" (यदि आपके पास अमूर्त रुप में शेयर होल्डिंग है) या फोलियो न0. (यदि आपके पास भोंतिक रुप में शेयर होल्डिंग है) पासवर्ड की तरह है। सम्बन्धित पीडीएफ में ई वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन है। कृपया नोट करें कि पासवर्ड एक प्रारम्भिक पासवर्ड है।

   *टिप्पड़ी : शेयरधारक जो ई वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है उन्हें "remote e-voting.pdf" फाइल प्राप्त नहीं होगी ।*

2. निम्नलिखित यूआरएल टाईप करके https://www.evoting.nsdl.com/ पर इंटरनेट ब्राउजर शुरु करें।

3. "Shareholders – लागिन " पर क्लिक करें।

4. यूजर आईडी तथा पासवर्ड डालकर डालें। लागईन पर क्लिक करे ।

5) पासवर्ड परिवर्तन मेनू दिखाई देगा। अपने पसन्द से आप पुराने पासवर्ड को आप बदल सकते है जो कम से कम 8 अंको/कैरेक्टर या इनका मिला जुला रुप होना चाहिए। यह दृढतापूर्वक सुझाव दिया जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में सावधानी बरतें ।

6) ई–वोटिंग का होम पेज खुलने पर ई–वोटिंग पर क्लिक करे और वोटिंग चक्र को सक्रिय करे ।

7) अपना वोट डालने के लिए "पंजाब नैशनल बैंक" के लिए ई–वोटिंग ईवेंट नं. ("EVEN") चुने ।

8) अब आप ई–वोटिंग के लिए तैयार है क्योकि वोट डालने का पेज खुल गया है ।

9) समुचित विकल्प चुनकर आप अपना वोट डाल सकते है और सबमिट पर क्लिक करे और अपने वोट की पुष्टि करे।

10) पुष्टि करने के बाद "सफलता पूर्वक वोट डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा ।

11) एक बार संकल्प पर अपना वोट डालने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

12) संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जिसे वोट के लिए अधिकृत किया है के पूर्ण हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करने के साथ सम्बन्धित बोर्ड संकल्प/प्राधिकृत पत्र इत्यादि की

Requirements), Regulations, 2015, the Bank is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Extraordinary General Meeting (EGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the EGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

II. The facility for voting through tablet based electronic voting shall be made available at the EGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.

III. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The remote e-voting period commences on 1st December, 2017 (9:00 am) and ends on 3rd December, 2017 (5:00 pm). During this period members' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 27th November, 2017, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

V. The process and manner for remote e-voting are as under:
In case a Member receives an email from NSDL [for members whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participants(s)] :

(i) Open email and open PDF file viz; "remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.
*NOTE: Shareholders already registered with NSDL for e-voting will not receive the PDF file* "remote e-voting.pdf".

(ii) Launch internet browser by typing the following URL:
https://www.evoting.nsdl.com/

(iii) Click on Shareholder - Login

(iv) Put your user ID and password. Click Login.

(v) Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(vi) Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.

(vii) Select "EVEN" of "Punjab National Bank".

(viii) Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.

(ix) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

स्कैन प्रति ( पीडीएफ/जेपीजी फार्मेट) प्रारुप में के साथ संवीक्षक को agc.scrutinizer@gmail.com पर भेजना आवश्यक है। जिसकी प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।

13) वे सदस्य जिनकी ई–मेल बैंक/डिपोजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है वे सदस्य evoting@nsdl.co.in पर आवेदन करके या टोल फ्री 1800–222–990 पर एनएसडीएल पर संपर्क करके अपना डिमेट अकाउंट नम्बर/फोलियो नम्बर का उल्लेख कर के वोट रिमोट ई वोटिंग से डालने के लिए लॉगिन तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

vi) किसी भी समाधान के लिए, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं तथा www.evotingindia.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए रिमोट ई वोटिंग यूजर मैनूअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री 1800–222–990 या एनएसडीएल के निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

पल्लवी मात्रे
सहायक प्रबंधक
दूरभाषः 022–24994545
ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चतुर्थ एवं पंचम तल
कमला मिल्स कम्पाउंड लोवर परेल, मुम्बई–400013

vii) यदि आप रिमोट ई वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले ही पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपनी वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड/पिन का उपयोग कर सकते हैं।

टिपण्णीः पासवर्ड भूल जाने के मामले में वह www.evotingindia.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/ Password?" या "Physical User Reset Password?" का प्रयोग करके अपना पासवर्ड निम्नवत रिसेट कर सकता हैः

यदि शेयरधारक डीमैट रूप में शेयर धारित करता है तो यूजर आईडी (DPID + Client ID) का समूह (कोम्बिनेशन) होगा ।

यदि शेयरधारक भौतिक रूप में शेयर धारित करता है तो यूजर आईडी (Even No + Folio No). का समूह (कोम्बिनेशन) होगा ।

VIII. आप फॉलियो के यूजर प्रोफाइल में अपना मोबाइल नं. और ई–मेल आईडी भी अद्यतन कर सकते है । जिसका उपयोग भविष्य मे किये जाने वाले पत्राचारों के लिए किया जा सकता है ।

IX. सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि 27.11.2017 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके अनुपात में होंगे ।

X. कोई व्यक्ति जिसने एजीएम नोटिस डिस्पेच होने के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित किए है और कम्पनी का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 27.11.2017 को शेयर धारित करता है evoting@nsdl.co.in या बैंक/आरटीए पर अनुरोध भेज कर लॉग–ईन और आईडी प्राप्त कर सकता है ।

हालांकि यदि आप रिमोट ई वोटिंग के लिए पहले से एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो आप अपने मौजूदा आईडी और पासवार्ड के साथ अपना वोट डाल सकते है द्य यदि आप अपना पासवर्ड भुल जाते है तो www.evotingindia.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" का प्रयोग करके या एनएसडीएल के टॉल फ्री नं. 1800–222–990 पर अनुरोध भेजकर अपना पासवर्ड निम्नवत रिसेट कर सकते है ।

XI. कोई सदस्य अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद ईजीएम की कार्यवाही में भाग ले सकता है किन्तु ईजीएम उसे दुबारा वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(x) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

(xi) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xii) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to agc.scrutinizer@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in

(xiii) The member(s) whose email ID is not registered with the Bank/Depository Participant(s), may obtain a login ID and password for casting his/her vote by remote e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or by contacting NSDL at the toll free no.:1800-222-990 mentioning their Demat Account No./ Folio No.

VI. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or contact the following official of NSDL;
Pallavi Mhatre
Assistant Manager
Tel No. 022-24994545
Trade World, A Wing, 4th and 5th floor
Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400013

VII. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.

NOTE: Shareholders who forgot the User Details/Password can use "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on **www.evoting.nsdl.com.**
In case Shareholders are holding shares in demat mode, USER-ID is the combination of (DPID + Client ID).
In case Shareholders are holding shares in physical mode, USER-ID is the combination of (Even No + Folio No).

VIII. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

IX. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 27th November, 2017.

X. Any person, who acquires shares of the Bank and become member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 27th November, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact the official of NSDL mentioned at para VI above.

XII. एक व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्य या डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी रजिस्टर मे दर्ज है केवल वही व्यक्ति मतदान द्वारा असाधारण आम बैठक में वोटिंग के साथ–साथ रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा ।

XIII. सुश्री आशु गुप्ता एंड कंपनी (ई–मेल आईडी agc-scrutinizer@gmail-com) में कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ 4123, सीपी नं. 6646) को बैंक द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया है ।

XIV. अध्यक्ष एवं सदस्यों को जो असाधारण आम बैठक मे उपस्थित है लेकिन रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्राप्त कर अपना वोट प्राप्त नही किया है संवीक्षक की सहायता से संकल्पो जिस पर वोटिंग की जानी है पर चर्चा के बाद असाधारण आम बैठक में वोटिंग की अनुमति देगा ।

XV. संवीक्षक, आम बैठक के दौरान हुई वोटिंग के तुरंत बाद डाले गए वोटों की गिनती करेगा तत्पश्चात् दो (2) साक्ष्यों की उपस्थिति में जो बैंक के नियोजन में न हों, वोट अनब्लॉक करेगा और बैठक के अध्यक्ष को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में डाले गये वोट की यदि कोई हो, लिखित रिपोर्ट बैठक के अध्यक्ष को ईजीएम की समाप्ति के 48 घंटों के अन्दर प्रस्तुत करेगा तथा अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत एक व्यक्ति, प्रतिहस्ताक्षर करेगा । अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्ति वोटिंग के परिणामों की घोषणा करेगा ।

XVI. संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद, इसे बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर और एनएसडीएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज एनएसई व बीएसई को तत्काल अग्रेषित कर दिया जाएगा ।

निदेशक मंडल के आदेश से
**कृते पंजाब नैशनल बैंक**

सुनील मेहता

**( सुनील मेहता )**
**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.11.2017

However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

XI. A member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the EGM.

XII. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through ballot paper.

XIII. Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary (Membership No. F4123, CP No. 6646) of M/s Ashu Gupta & Co. (email ID – agc.scrutinizer@gmail.com) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

XIV. The Chairman shall, at the EGM, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of "remote e-voting" for all those members who are present at the EGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

XV. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and shall make, not later than three days of the conclusion of the EGM, a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

XVI. The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.pnbindia.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges NSE and BSE.

By order of the Board of Directors
for **PUNJAB NATIONAL BANK**



Place: NEW DELHI
Date: 02.11.2017

**(Sunil Mehta)**
**Managing Director & CEO**

**पंजाब नैशनल बैंक**

**कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लाट संख्या 4,सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075**

**फार्म–''बी''**

**प्रॉक्सी फार्म**

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

| | |
|---|---|
| पंजीकृत फोलियो सं.<br>(मूर्त शेयरों के लिए) | |
| डीपीआईडी सं.<br>ग्राहक आईडी सं.<br>(अमूर्त शेयरों के लिए) | |
| शेयरों की सं. | |

मैं/हम.....राज्य..... के जिला .....का/की/के निवासी..... पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा .....राज्य के.....जिला.....के निवासी श्री/श्रीमती.....को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर ..... .....राज्य के जिला.....के निवासी श्री/श्रीमती.....को **दिनांक 4 दिसंम्बर, 2017 समय प्रातः 10.00 बजे** पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में जो **पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडर हिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054** में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगित होने पर मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूं/करती हूं/करते हैं।

रसीदी टिकट

**वर्ष 2017 के .....मास की.....तारीख को हस्ताक्षरित**

**एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर**

**प्रॉक्सी के हस्ताक्षर.....**

**PUNJAB NATIONAL BANK**
**Corporate Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110 075**

## FORM 'B'

## FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

| | |
|---|---|
| Regd. Folio No.<br>(If not Dematerialised) | |
| DPID No.<br>Client ID No<br>(If Dematerialised) | |
| No. of Shares | |

I/We, _____resident/s of _____

in the district of _____in the state of _____

being a shareholder/s of Punjab National Bank, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____in the district of _____ in the state of _____or failing him/her, Shri/Smt._____ _____ resident of _____ _____in the district of_____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on **04.12.2017, at 10.00 a.m., at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi – 110054 and at** any adjournment there of.

Revenue Stamp

Signed this_____day of_____2017. Signature of sole/first holder

Signature of the Proxy _____

## प्राक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. कोई भी प्राक्सी दस्तावेज तब तक वैध नहीं होगा जब तक रू

    क) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या विधिवत् लिखित रुप में अधिकृत ऍटार्नी हस्ताक्षर करेगा।

    ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रुप से अधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगें।

    ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा सामान्य मोहर, यदि हो, तो लगाकर इन्हें हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रुप से विधिवत् अधिकृत ऍटार्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।

    घ) फार्म बी में होंगे और विधिवत् रूप से स्टाम्पित होंगे।

2. प्रॉक्सी दस्तावेज़ जिस पर शेयरधारक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया है, तभी वैध माना जाएगा जब उसे किसी जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार बीमा द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो।

3. प्रॉक्सी के साथ :

    क. एटॉर्नी की शक्तियॉ या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई है) जिसके तहत इसे हस्ताक्षर किया गया है

    या

    ख. फ्रॉक्सी फार्म के साथ नोटरी पब्लिक या एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उक्त मुख्तारनामे या प्राधिकार पत्र की हस्ताक्षरित प्रति को पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली –110075 के पास असाधारण आम बैठक की तिथि से 4 दिन पहले अधिकतम 29.11.2017 सायं 5.00 बजे तक जमा करवा दिया जाए ।

4. यदि संबंधित मुख्तारनामा पंजाब नैशनल बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए ।

5. बैंक के पास जमा प्रॉक्सी दस्तावेज अंतिम व अपरिवर्तनीय होगा।

6. विकल्प के रूप में दो गारंटियों के पक्ष में स्वीकृत प्रॉक्सी दस्तावेज के मामले में एक से अधिक फार्म को निष्पादित नहीं किया जाएगा।

7. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का दस्तावेज़ निष्पादित किया हो वह बैठक में उस दस्तावेज़ से सम्बद्ध वोट देने का पात्र नहीं होगा।

8. इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे में प्रॉक्सी प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा।

9. पंजाब नैशनल बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को वैधानिक रूप से प्राधिकृत या प्रॉक्सीधारक नियुक्त नहीं किया जा सकता।

## INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
   b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
   c. in the case of a body corporate, it is signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
   d. shall be in the Form B and duly stamped.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.
3. The proxy together with:
   a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
   b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Finance Division, Share Department, Punjab National Bank, Corporate Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110 075 not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 5.00 p.m. of 29.11.2017.**
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Punjab National Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank.

# पंजाब नैशनल बैंक

**कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लाट संख्या 4,सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075**
**नई दिल्ली, 110075**

## उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास

**असाधारण आम बैठक, सोमवार, 4 दिसंम्बर, 2017 समय प्रातः 10.00 बजे**
**पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054**

## उपस्थिति पर्ची

(उपस्थिति पंजीकरण के समय लौटा दी जाए)

| नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि) | पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| | | |
| शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर | | |

---

# पंजाब नैशनल बैंक

**कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लाट संख्या 4,सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075**
**नई दिल्ली, 110075**

**असाधारण आम बैठक, सोमवार, 4 दिसंम्बर, 2017 समय प्रातः 10.00 बजे**

**प्रवेश पास** (बैठक के दौरान अपने पास रखना है)

| नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि) | पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| | | |
| शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर | | |

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पत्र को बैठक कक्ष में उपस्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पास वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा, जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना होगा। किसी भी स्थिति में डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची – सह – प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

**PUNJAB NATIONAL BANK**
**Corporate Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110 075**

*ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS*
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, MONDAY, 4TH DECEMBER, 2017 AT 10.00 A.M.**
**AT PNB AUDITORIUM, CENTRAL STAFF COLLEGE, 8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES, DELHI-54**

## ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

| NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AuthorisedRepresentative) | REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No. | Number of Shares |
|---|---|---|
| | | |
| Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative | | |

– – – –